कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक– 1774 /बदायूँ/2110/2015, दिनांक, लखनऊ, फरवरी 22 , 2017

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,
वन एवं वन्यजीव अनुभाग–2,
लखनऊ।

विषयः बदायूँ में चन्दौसी–बदायूँ मार्ग (एस0एच0–43) किमी0 59 पर ग्राम–मुडिया के खसरा सं0–210 में एस्सार ऑयल कम्पनी लि0 द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.075028 हे0 संरक्षित वनभूमि का बिना वृक्ष पातन के गैरवानिकी प्रयोग की अनुमति।

सन्दर्भः भारत सरकार का पत्रांक–8बी/यूपी/06/10/2017/एफसी/111, दिनांक 25.01.2017
उ0प्र0शासन का पत्रांक–भा0स0–26/14–2–2017–800(198)/2016, दिनांक 02.02.2017

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने की कृपा करें। भारत सरकार के सन्दर्भित पत्र द्वारा इंगित सूचनाओं एवं अभिलेखों को पूर्ण कर संशोधित प्रस्ताव उ0प्र0शासन को उपलब्ध कराने हेतु शासन के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा प्रस्ताव की प्रतियाँ इस कार्यालय को वापस प्राप्त हुयी थी। उक्त कार्यवाही सम्बन्धित कार्यालय से अपेक्षित थी।

उक्त के कम में भारत सरकार के सन्दर्भित पत्र में उल्लिखित दोनों बिन्दुओं का बिन्दुवार निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव वन संरक्षक, बरेली के पत्रांक–2939/14–1, दिनांक 17.02.17 द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है। अतः वन संरक्षक, बरेली के उक्त पत्र व संशोधित प्रस्ताव की दो प्रतियाँ एतत्सह संलग्न कर इस आशय से प्रेषित है कि एक प्रति भारत सरकार प्रेषित करते हुए प्रकरण में स्वीकृति निर्गत कराने की कृपा करें।

संलग्नकःप्रस्ताव की दो प्रतियाँ।

भवदीय,

(सुरेश चन्द्र)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांक– 1774 / उक्त दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– वन संरक्षक, बरेली वृत्त, बरेली।
2– प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, बदायूँ।
3– डिवीजनल मैनेजर, एस्सार ऑयल लि0, ए–5, से0–3, नोएडा।

22/2/17

(सुरेश चन्द्र)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उ0प्र0, लखनऊ।